वित्त निर्देश– 26/2017

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

कमांक 270/एफ–2013–04–00416/वि/नि/चार   नया रायपुर, दिनांक 13 जून, 2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषयः–राज्य शासन के कर्मचारियों का छ.ग.वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 में महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें

राज्य शासन के ऐसे कर्मचारियों जिन्होंने छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 के अंतर्गत वेतन प्राप्त करते रहने का विकल्प दिया है अथवा जिनके वेतन भत्तों का पुनरीक्षण किन्हीं कारणों से नहीं हुआ है, को वित्त विभाग के ज्ञापन कमांक 257 / एफ 2013–04–00416 / वित्त / नियम / चार, दिनांक 8.7.2016 द्वारा दिनांक 01.01.2016 से 245 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया था। शासन द्वारा इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दरों में निम्नानुसार संशोधन करने का निर्णय लिया गया है –

अवधि जब से देय है	**महंगाई भत्ते की दर का प्रतिशत**
दिनांक 01–07–2016	256 प्रतिशत
दिनांक 01–01–2017	264 प्रतिशत

(2) राज्य शासन यह भी निर्देशित करता है कि :–

1. बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि नगद भुगतान की जावेगी।
2. महंगाई भत्ते के कारण किये जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हों तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपयों में पूर्णाकिंत किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
3. महंगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जावेगा।
4. महंगाई भत्ते की गणना के लिए वेतन से तात्पर्य नवीन पुनरीक्षित वेतन 1998 में निर्धारित प्राप्त मूल वेतन तथा ज्ञापन दिनांक 19.01.2007 के अंतर्गत परिगणित मंहगाई वेतन से है।
5. पुनरीक्षित वेतनमानों में महंगाई भत्ते का नियमितिकरण वित्त विभाग के ज्ञापन कमांक 1264/1619/नि–2/चार, दिनांक 8 जुलाई 1957 एवं इस संबंध में समय–समय पर प्रसारित निर्देशों के अनुसार किया जाता रहेगा।
6. ये आदेश यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे।

7. इन आदेशों के अंतर्गत देय महंगाई भत्ते का भुगतान विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

13/06/2017
(एस.के.चक्रवर्ती)
संयुक्त सचिव

पृ. क. 271/एफ–2013–04–00416/वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक 13 जून, 2017

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/ मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
7. प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
9. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नया रायपुर
10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
11. राज्य सूचना आयुक्त, शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर
12. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, नया रायपुर
13. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर ।
14. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
16. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
18. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर

– को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु

19. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट **www.cgfinance.nic.in** पर अपलोड करने हेतु

13/6/2017
(प्रेमा गुलाब एक्का)
अवर सचिव